


फॉर आरकाय

राजोड वनाय सरकार

क्र.नं. 08/2024

24/7/24

पत्रावली प्रेष ड्रॉ | प्रकरण में इस-माचालक के आदेश क्रिंक 10/6/24 के तहत प्रार्थी को अक्षरे एक लाख रूपये जुमाना राशि पशु सुरता निवारण समिति जापुर के खेड स्वाता में जमा करता है तो पिछ अप को होउ डिजा जावे और यदि जुमाना राशि एक माह में जमा नहीं करता है तो पिछ अप जवत कर लिजा जावेगा के आदेश डिपे गये थे | प्रार्थी | वाहन मालिक ने उक्त आदेश की अनुपालना में जुमाना राशि जमा नहीं करवाई है | एक माह से ज्यादा समय पूर्व से चुका है | इसलिए अब इस प्रॉफेज सुपुडगी को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है | अतः प्रॉफेज की पत्रावली फेंसल जुमाद होकर वर्ज गम्वट से कम हो | वाहन | पिछ अप पूर्ववत जवत रहेगा |


जिला कलेक्टर

दूद (राज0)